

प्रेषक,

ज्योत्सना शर्मा,  
जनपद न्यायाधीश,  
झाँसी ।

प्रेषित,

विमल प्रकाश आर्य,  
अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ) झाँसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

पत्र सं०- संदर्भ संख्या- 86/157.

दिनांक- ३१. ०३. २०२२


**विषय:- आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित- ३०- ०३- २०२२ के सम्बन्ध में ।**

उपरोक्त पत्र दिनांकित ३०- ०३- २०२२ में आपने यह उल्लेख किया है कि प्रकीर्ण वाद संख्या- ४२९/ २०२१, अन्तर्गत धारा- १७४, १२०, १७७, १८६ भा०दं०सं०, सरकार बनाम चन्द्रशेखर शुक्ला, जिसके विषय में एक अन्तरण प्रार्थनापत्र संख्या- ४८३/ २०२१ लम्बित है, में तामीलशुदा सम्मन दिनांकित २३- १२- २०२१ आपको प्राप्त हुआ है ( जिसकी सत्यप्रतिलिपि आपने निशुल्क प्राप्त की है) चूँकि उक्त तामीलशुदा सम्मन प्रकीर्ण वाद संख्या- ४२९/ २०२१ से सम्बन्धित है जिसका सम्पूर्ण अभिलेख उक्त अन्तरण प्रार्थनापत्र संख्या- ४८३/ २०२१ में संलग्न किया गया है। अतः यह उचित होगा कि मूल सम्मन इस न्यायालय को प्राप्त करा दिया जाये, जिससे वह कागज मूल अभिलेख में संलग्न किया जा सकें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रकीर्ण वाद संख्या- ४२९/ २०२१, अन्तर्गत धारा- १७४, १२०, १७७, १८६ भा०दं०सं०, सरकार बनाम चन्द्रशेखर शुक्ला, से सम्बन्धित यदि कोई अन्य मूल अभिलेख, आपके द्वारा प्राप्त किये गये हों तो वह भी इस न्यायालय को प्राप्त कराये जाये जिससे कि उक्त कागज सही स्थान पर संलग्न किये जा सकें।

अतः सुसंगत कागज/ अभिलेख अविलम्ब प्रेषित कराने का कष्ट करें।

दिनांक:- ३१- ०३- २०२२

  
(ज्योत्सना शर्मा)  
जनपद न्यायाधीश,  
झाँसी ।

12/49


**JYOTSNA SHARMA**  
**District & Sessions Judge,**  
**Jhansi.**

**D.O. No. 21/D.J. /2022**  
**Chamber**  
**District Judge, Jhansi**  
**Dated: 08/04/2022**

**Sri Arya,**

- Take reference of my letter No. 86/D.J. dated 31.03.2022 in the context of your letter dated 30.03.2022.
- You, in my administrative capacity as District Judge, Jhansi were directed to send remaining original papers admittedly held by you regarding criminal case No. 429/2021 relating to T.A. No. 483/2021. However you have chosen to keep mum on the matter and have not intimated me about the reasons for non-compliance of my Administrative Order.
- You are well aware of the fact that in the matters referred to by you in the above letter a departmental inquiry has been instituted and is pending. You have already received copy of your complaints and the order passed thereon by the undersigned thereon. Hence your request for taking action against any person is premature.
- However, as suggested by you, in case of your opinion that any action or inaction on the part of person concerned is motivated by any prejudice or malafides then it is up to you to take suitable action as per your discretion including volunteering as a witness in the ongoing inquiry. And also volunteering presentation of papers which in your opinion may be useful in facilitating the drawing of any just and fair conclusion by the Inquiry Officer.
- You are again directed to send the remaining original documents concerning the misc. case No. 429/2021 for the purpose of keeping it on record.

Yours sincerely,

  
**(Jyotsna Sharma)**

**Sri Vimal Prakash Arya**  
**A.D.J./F.T.C.(14<sup>th</sup> F.C.)**  
**Jhansi.**

12/50

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय) झाँसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश ।  
झाँसी ।

विषय:- 1. श्रीमान जी द्वारा प्रेषित पत्र संदर्भ सं०- 86/ D. J. दिनांकित 31. 03. 2022 ।  
2. अर्द्धशासकीय पत्रांक सं०- 21/ D. J. 2022 दिनांकित- 08. 04. 2022 ।

संदर्भ : मेरे द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 30. 03. 2022

महोदया

सादर अवगत कराना है कि श्रीमान जी ने उक्त विषय के क्रम सं०- 1 के बावत जो पत्र जारी किया है उसमें यह उल्लेख किया है कि " उपरोक्त पत्र दिनांकित 30. 03. 2022 में आपने यह उल्लेख किया है कि प्रकीर्ण वाद सं०- 429/ 2021 अन्तर्गत धारा 147, 120, 177, 186 I. P. C. सरकार बनाम चन्द्र शेखर शुक्ला, जिसके विषय में एक अन्तरण प्रार्थनापत्र सं०- 483/ 2021 लम्बित है, में तामील शुदा सम्मन दिनांकित 23. 12. 2021 आपको प्राप्त हुआ है ( जिसकी सत्यप्रतिलिपि आपने निशुल्क प्राप्त की है) चूँकि उक्त तामील शुदा सम्मन प्रकीर्ण वाद सं०- 429/ 2021 से संबंधित है, जिसका सम्पूर्ण अभिलेख उक्त अन्तरण प्रार्थनापत्र सं०- 483/ 2021 में संलग्न किया गया है। अतः यह उचित होगा कि मूल सम्मन इस न्यायालय को प्राप्त करा दिया जाये, जिससे वह कागज मूल अभिलेख में संलग्न किया जा सके।

उपरोक्त विषय के क्रम सं०- 2 में पुनः श्रीमान जी के द्वारा पैरा 1 में यह उल्लिखित किया गया है कि " Take reference of my letter No. 86/ D. J. dated 31. 03. 2022 in the context of your letter dated 30. 03. 2022. "

पैरा 2 में यह उल्लिखित किया गया है कि " You, in my administrative capacity as District Judge, Jhansi were directed to send remaining original papers admittedly held by you regarding criminal case No. 429/ 2021 relating to T. A. No. 483/ 2021. However you have chosen to keep mum on the matter and have not intimated me about the reasons for non- compliance of my Administrative Order. "

इस संबंध में मेरा निवेदन है कि मेरे द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 30. 03. 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैंने अपने उपरोक्त पत्र में ऐसा कोई कथन नहीं किया है, जैसा कि श्रीमान जी द्वारा अपने उपरोक्त

1  
12/51




पत्राकों में उल्लेख किया गया है।

यह भी अवगत कराना है कि पत्रावली से संबंधित किसी भी अभिलेख को प्राप्त करने का दायित्व न्यायिक अधिकारी का नहीं होता है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि यदि मेरे उपरोक्त पत्राक में ऐसे किसी तथ्य का उल्लेख किया गया है, जिसके बावत श्रीमान जी द्वारा उपरोक्त विषयांकित पत्र व अर्द्ध शासकीय पत्र जारी किये गये हैं तो मुझे अवगत कराने की कृपा करें, जिससे श्रीमान जी को सही वस्तु स्थिति के संबंध में यथाशीघ्र अवगत कराया जा सके।

भवदीय

  
12.04.2022

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

दिनांक- 12. 04. 2022

नोट - दिनांक 12.04.2022 को काफ़ी समय की शक वही मैं चढ़वाकर भिजवाकर था।

12/52